

रिश्वत विरोधी नीति

विषयसूची

1.	परिचय	2
2.	नीति वक्तव्य	2
3.	परिभाषाएं	2
4.	निषिद्ध आचरण	3
5.	संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करना	4
6.	अनुपालन प्रक्रियाएँ	4
7.	विलय व अधिग्रहण	4
8.	एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो	5
9.	उल्लंघनों के परिणाम	5
10.	समीक्षा/संशोधन	5
11।	निष्कर्ष	5

इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड
रिशवत विरोधी नीति



1 परिचय

इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ("कंपनी") भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन बी2बी बाज़ार है, जो खरीदारों को आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ता है। 1999 में स्थापित, कंपनी का मिशन 'व्यवसाय करना आसान बनाना' है। नैतिक व्यावसायिक आचरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में, कंपनी के भीतर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह रिश्वत विरोधी नीति ("नीति") स्थापित की गई है। यह नीति कंपनी की ओर से कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों, ठेकेदारों, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (सामूहिक रूप से "कंपनी प्रतिनिधियों" के रूप में संदर्भित) पर लागू होती है।

2. नीति वक्तव्य

कंपनी अपने व्यवसाय को निष्पक्ष, ईमानदारी, नैतिक रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी रूप में रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के खिलाफ है। रिश्वतखोरी गैरकानूनी है, विश्वास को कमजोर करती है और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है।

3. परिभाषाएं

- i. रिश्वत/घूसखोरी: रिश्वत किसी ऐसे कार्य के बदले में किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश करना, वादा करना, देना, स्वीकार करना या याचना करना है जो बेईमान, अवैध और अनुचित या विश्वास का उल्लंघन है, जो प्राप्तकर्ता को उनके कर्तव्य के पालन में प्रभावित करने और उन्हें झुकाने के लिए बनाया गया है। अनुचित व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के स्वीकृत मानकों के विपरीत कार्य करना। रिश्वत में अक्सर भुगतान (या भुगतान के वादे) शामिल होते हैं, लेकिन इसमें भ्रष्ट/अनुचित उपहार और आतिथ्य या अन्य महत्वपूर्ण उपहार भी शामिल हो सकते हैं। रिश्वत में प्रत्यक्ष रूप से, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी मध्यस्थ के माध्यम से प्रदान किए गए लाभ शामिल हैं।
- ii. भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार का तात्पर्य निजी लाभ के लिए कार्यालय या शक्ति के दुरुपयोग से है, जिसमें व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने या अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी मूल्य की पेशकश या वादा करना शामिल है। इसमें अनुचित व्यावसायिक लाभ प्रदान करने की शर्त के रूप में किसी भी व्यक्ति से किसी मूल्यवान वस्तु की मांग करना या स्वीकार करना भी शामिल है।
- iii. सुविधा सेवा भुगतान: सुविधा भुगतान एक सरकारी अधिकारी द्वारा नियमित सरकारी कार्यवाई को सुरक्षित करने या उसमें तेजी लाने के लिए किया जाने वाला अनौपचारिक भुगतान है। इनमें नियमित, गैर-विवेकाधीन

सरकारी कार्रवाई में तेजी लाने या सुरक्षित करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए छोटे भुगतान शामिल हैं, जैसे कि व्यवसाय परमिट या लाइसेंस, सीमा शुल्क चालान या वीजा हासिल करना, या पुलिस सुरक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करना।

- iv. सरकार: किसी भी राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार की कोई एजेंसी, उपकरण, उपखंड या अन्य निकाय।
- v. किकबैक: किकबैक किसी व्यावसायिक लाभ/लाभ के बदले में किया जाने वाला भुगतान है।
- vi. उपहार: उपहार का अर्थ किसी भी महत्वपूर्ण मूल्य की वस्तु से है, जो उस पार्टी को दी जाती है/प्राप्त की जाती है जिसका संगठन के साथ व्यापारिक संबंध है।

4. निषिद्ध आचरण

4.1. रिश्वत

कंपनी के प्रतिनिधियों को किसी भी व्यवसाय या सरकारी निर्णय को प्रभावित करने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से किसी भी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्य की पेशकश करने, देने, प्राप्त करने या मांगने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें नकद, उपहार, मनोरंजन, उपकार, या किसी अन्य प्रकार का मुआवज़ा शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है।

4.2. सुविधा सेवा भुगतान

सुविधा भुगतान, जिसे "ग्रीस भुगतान" के रूप में भी जाना जाता है, नियमित कार्यों में तेजी लाने के लिए किए गए छोटे भुगतान हैं जिन्हें करने के लिए सरकारी अधिकारी पहले से ही बाध्य हैं। ये भी वर्जित हैं।

4.3. रिश्वत

कंपनी के प्रतिनिधियों को व्यवसाय, अनुबंध या अनुकूल व्यवहार के बदले रिश्वत या किसी भी प्रकार का अनुचित भुगतान स्वीकार या प्रदान नहीं करना चाहिए।

4.4 उपहार

इंडियामार्ट जमीनी स्तर से न्यायसंगत और पारदर्शी आचरण में विश्वास रखता है। निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में, कंपनी कर्मचारियों को किसी भी हितधारक के साथ नाममात्र उपहारों का आदान-प्रदान करने

में सक्षम बनाती है। उपहार का कारण और प्रकृति, क्या यह उचित प्रकार और मूल्य का है और उचित समय पर दिया गया है जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

5. संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करना

यदि किसी भी कंपनी प्रतिनिधि को इस नीति के संभावित उल्लंघन का संदेह होता है या पता चलता है, तो उन्हें तुरंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या उनके संबंधित व्यवसाय प्रमुख/क्षेत्रीय व्यवसाय प्रमुख/कार्यात्मक प्रमुख को या 'शिकायत रिपोर्टिंग' तंत्र के माध्यम से इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। विजिल मैकेनिज्म 'विहिसल ब्लोअर नीति'। शिकायतकर्ता उक्त नीति में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख कर सकता है <https://investor.indiamart.com/CorporateGovernance.aspx>.

6. अनुपालन प्रक्रियाएँ

6.1. यथोचित परिश्रम

एजेंटों, सलाहकारों और व्यावसायिक साझेदारों सहित तीसरे पक्षों के साथ जुड़ने से पहले, कंपनी उक्त रिश्ते से जुड़े रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जोखिम का आकलन करने के लिए उचित परिश्रम करेगी।

6.2. उपहार और आतिथ्य

कंपनी के प्रतिनिधियों को समय-समय पर उपहार देने और प्राप्त करने, मनोरंजन और आतिथ्य सत्कार पर कंपनी की नीतियों का पालन करना चाहिए। ऐसी सभी बातचीत उचित, पारदर्शी और वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए।

6.3. रिकॉर्ड रखना

कंपनी द्वारा सभी लेनदेन का सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए, जिसमें सभी वित्तीय लेनदेन और भुगतान के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। किसी भी "ऑफ-द-रिकॉर्ड" भुगतान और किसी भी अनुचित भुगतान को छुपाने या छुपाने के लिए धोखाधड़ी वाले लेखांकन या पुस्तकों और रिकॉर्ड का मिथ्याकरण निषिद्ध है।

6.4. प्रशिक्षण एवं जागरूकता

कंपनी सभी संबंधित कर्मियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण, शैक्षिक मेलर्स आदि सहित जागरूकता पहल करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इस नीति के तहत अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों से अवगत हैं।

7. विलय एवं अधिग्रहण

एक कंपनी जो विलय या अधिग्रहण से पहले लक्ष्य कंपनी की रिश्वत-रोधी प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में पर्याप्त परिश्रम नहीं करती है, उसे कानूनी और व्यावसायिक दोनों जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी कंपनी किसी भी व्यवसाय की प्रतिष्ठा और अखंडता पर उचित और उचित परिश्रम करेगी जिसमें वह विलय या अधिग्रहण करेगी। इस तरह का उचित परिश्रम तीसरे पक्ष के पेशेवरों द्वारा किया जाएगा।

8. हितों का टकराव

हितों का कोई भी टकराव, भले ही वह कथित या संभावित हो, कंपनी के अनुपालन अधिकारी या अन्य वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को सूचित किया जाना चाहिए, बदले में उचित सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए और ऐसे अपेक्षित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

9. उल्लंघनों के परिणाम

इस नीति के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें रोजगार की समाप्ति तक शामिल है, और नागरिक या आपराधिक दंड भी हो सकता है। कंपनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच और अभियोजन में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी।

10. समीक्षा/संशोधन

इस नीति की समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाएगी और यह लागू कानूनों और विनियमों के अधीन होगी। इस संबंध में विनियमों में कोई भी आगामी संशोधन/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।

11. निष्कर्ष

कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। यह रिश्वत विरोधी नीति रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हमारी निरंतर सफलता के लिए आधार के रूप में कार्य करती है।